रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 17, 2018/पौष 27, 1939
No. 237] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 17, 2018/PAUSHA 27, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2018

का.आ. 274(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्यांक 1622 (अ), तारीख 26 जून, 2014 द्वारा, लक्षद्वीप तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन 20 दिसंबर, 2017 तक की अवधि के लिए किया था और उक्त प्राधिकरण की अवधि समाप्त हो गई है ;

और, केन्द्रीय सरकार का यह दृष्टिकोण है कि प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जाना चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लक्षद्वीप तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का, इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :--

1.	प्रशासक, लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र	अध्यक्ष
2.	सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र	-- सदस्य
3.	वन संरक्षक/उप वन संरक्षक, लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र	-- सदस्य
4.	डॉ. के.वी. थॉमस, वैज्ञानिक (सेवानिवृत्त), केरल मात्स्यिकी और समुद्र अध्ययन विश्वविद्यालय, कोची-682506	-- सदस्य

5.	डॉ. एम. वाफिर, वैज्ञानिक (सेवानिवृत्त), ए2 ओसियनिस सहकारी हाऊसिंग सोसाइटी, बेम्बोलिन, गोवा-403202	-- सदस्य
6.	अधीक्षण इंजीनियर, लक्षद्वीप लोक निर्माण विभाग, कावारात्ती	-- सदस्य
7.	उप कलक्टर (मुख्यालय), लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र, कावारात्ती	-- सदस्य
8.	उप मुख्य इंजीनियर, लक्षद्वीप हार्बर कार्य विभाग, लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र, कावारात्ती	-- सदस्य
9.	निदेशक, मत्स्य उद्योग, लक्षद्वीप प्रशासन, कावारात्ती	-- सदस्य
10.	सदस्य-सचिव, लक्षद्वीप प्रदूषण नियंत्रण समिति	सदस्य-सचिव

2. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के क्षेत्रों में पयावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए, निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :--

(क) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना में वर्गीकरण के परिवर्तन या उपांतरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 20(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 के उपबंधों के अनुसार तटीय विनियम क्षेत्र के दृष्टिकोण से विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना ;

(ख) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हो ;

(ग) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन, जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करना:

परंतु इस उप-पैरा के उपखंड (क) और (ख) के अधीन मामले स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिए जा सकेंगे ।

(घ) उप-पैरा (क) और उप-पैरा (ख) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अननुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना ;

(ङ) उप-पैरा (क) और उप-पैरा (ख) से उत्पन्न होने वाले विवाद्यकों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना ।

3. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवाद्यकों के संबंध में कार्रवाई करेगा, जो उसे लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

4. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए सहजभेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाएं बनाएगा।

5. प्राधिकरण उन सभी शर्तों का, जो लक्षद्वीप के लिए तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 20(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 में अधिकथित है, अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

6. प्राधिकरण, राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण और केंद्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार देगा।

7. प्राधिकरण की बैठक की गणपूर्ति प्राधिकरण के कुल सदस्यों के एक तिहाई से होगी, गणपूर्ति न होने की दशा में, बैठक तीस मिनट के लिए स्थगित की जाएगी और पुनः आहूत की जाएगी।

8. प्राधिकरण, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 20(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार संघ राज्यक्षेत्र में तटीय क्षेत्रों के लिए समेकित तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना तैयार करेगा और राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय, केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

9. तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण के कार्यकरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह एक समर्पित बेवसाइट का सृजन करे और उस पर अपना एजेन्डा, कार्यवृत्त, लिए गए विनिश्चयों, अनापत्ति प्रमाणपत्रों, अतिक्रमणों और अतिक्रमणों पर की गई कार्रवाई और न्यायालय के मामले, जिसके अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र की तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना में यथा अनुमोदित माननीय न्यायालय के आदेश भी हैं, को रखें।

10. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

11. प्राधिकरण का मुख्यालय कावारात्ती में स्थित होगा।

12. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्टतः न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा।

[फा. सं. 12-5/2005-आईए-3 (भाग-I)]

रीतेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 17th January, 2018

S.O. 274(E).—Whereas by an Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1622(E), dated the 26th June, 2014, the Central Government had constituted the Lakshadweep Coastal Zone Management Authority, for the period up to the 30th June, 2017.

And whereas, the term of the said Authority has expired and the Central Government is of the view that such an Authority should be reconstituted.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as the Lakshadweep Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as theAuthority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this order, namely:-

1.	Administrator, Union Territory of Lakshadweep	Chairman
2.	Secretary, Department of Environment and Forest/Science & Technology, Union Territory of Lakshadweep	Member
3.	Conservator/Deputy Conservator of Forests Union Territory of Lakshadweep	Member
4.	Dr. K.V. Thomas, Scientist (Retd), Adjunct Faculty, Kerala University of Fisheries and Ocean Studies, Kochi-682506	Member
5.	Dr. M. Wafar, Scientist (Retd), A2 Oceanis Co-op. Housing Society Bambolim, P.O. Goa-403202.	Member
6.	Superintending Engineer, Lakshadweep Public Works Department, Kavaratti.	Member
7.	Deputy Collector (HQ), Union Territory of Lakshadweep, Kavaratti.	Member
8.	Deputy Chief Engineer, Lakshadweep Harbour Works Department, Union Territory of Lakshadweep, Kavaratti	Member
9	Director of Fisheries, Union Territory of Lakshadweep, Kavaratti	Member
10	Member Secretary, Lakshadweep Pollution Control Committee	Member-Secretary.

2. The Authority shall have the power to take the following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in areas of the Union Territory of Lakshadweep, namely:—

(a) examination of proposals for changes or modifications in classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan received from the Lakshadweep administration and making specific recommendations from Coastal Regulation Zone point of view in accordance with the provisions of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 20(E) dated the 6th January, 2011;

(b) inquiry into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder or any other law which is relatable to the objects of the said Act and, if found necessary in a specific case, issuing directions under section 5 of the said Act, insofar as such directions are not inconsistent with any direction issued in that specific case by the National Coastal Zone Management Authority or by the Central Government;

(c) review of cases involving violations of the provisions of the said Act and the rules made thereunder or under any other law which is relatable to the objects of the said Act, and if found necessary referring such cases, with comments, for review to the National Coastal Zone Management Authority:

Provided that the cases under sub-paragraphs (a) and (b) only be taken up *suo motu* or on the basis of complaint made by an individual or a representative body or an Organisation;

(d) filing complaints, under section 19 of the said Act, in cases of non-compliance of the directions issued by it under sub-paragraphs (a) and (b) ;

(e) to take action under section 10 of the said Act to verify the facts concerning the issues arising from sub-paragraphs (a) and (b).

3. The Authority shall deal with environmental issues relating to Coastal Regulation Zone which may be referred to it by the Union Territory of Lakshadweep, the National Coastal Zone Management Authority or the Central Government, as the case may be.

4. The Authority shall identify coastal areas highly vulnerable to erosion or degradation and formulate area-specific management plans for such identified areas and arrange for funding for the implementation of the same;

5. The Authority shall ensure compliance of all specific conditions that are laid down in the approved Coastal Zone Management Plan of Lakshadweep and the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 20(E), dated the 6th January, 2011.

6. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority and the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.

7. The quorum of the meeting of the Authority shall be one third of the total number of the members of the Authority and in case the quorum is not available, the meeting shall be adjourned for thirty minutes and shall be reconvened.

8. The Authority shall prepare and submit Integrated Coastal Zone Management Plans of the coastal areas in the Union Territory as per the procedure laid down in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 20(E) dated the 6^{th} January, 2011 to the National Coastal Zone Management Authority and the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.

9. To maintain transparency in the working of the Coastal Zone Management Authority it shall be the responsibility of the Coastal Zone Management Authority to create a dedicated website and post the agenda, minutes, decisions taken, clearance letters, violations, action taken on the violations and court matters including the Orders of the Hon'ble Court as also the approved Coastal Zone Management Plans of the Union Territory.

10. The foregoing powers and functions of the Authority shall be subject to the supervision and control of the Central Government.

11. The Authority shall have its headquarters at Kavaratti.

12. Any matter specifically not falling within the scope and jurisdiction of the Authority so constituted shall be dealt with by the statutory authorities concerned.

[F. No. 12-5/2005-IA-III] (Part-I)]

RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.01.21 11:08:03 +05'30'